स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

केस नंबर: RG/28/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

दिनाक: 26.07.2019

सेवा में,

ज़िला अधिकारी,
ज़िला- महाराजगंज,
(उत्तर प्रदेश)

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
ज़िला- महाराजगंज,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: ज़िला प्रशासन महाराजगंज द्वारा धुरिया समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी कराने के संबंध में- श्री राजमंगल गोंड, ज़िला अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, ज़िला- महाराजगंज का अभ्यावेदन ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 16.07.2019 समय 02.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

श्री राजमंगल गोंड,
ज़िला अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा,
मोहल्ला- आज़ाद नगर, वार्ड नंबर: 11,
नगर पालिका परिषद, महाराजगंज,
ज़िला- महाराजगंज,
(उत्तर प्रदेश)
(मो 9838134842)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

ज़िला- महाराजगंज प्रशासन द्वारा धुरिया, गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे का कार्यवृत ।

(केस नंबर: RG/28/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

List of participants in the sitting is annexed.

2. श्री राजमंगल गोंड, ज़िला अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, ज़िला- महाराजगंज ने अभ्यावेदन दिनाक 01.04.2019 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि महाराजगंज ज़िला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा धुरिया समुदाय के लोगों को (कुल 47 मामले जिनमे तहसील - फरेंदा के 10, तहसील- सदर महाराजगंज के 23 तथा तहसील- नौतनवा के 14) अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा है जिसके कारण वे संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो रहे है । प्रकरण को ज़िला अधिकारी, ज़िला- महाराजगंज को तथ्य तथा आख्या हेतु, आयोग ने दिनाक 07.06.2019 को प्रेषित किया ।

3. उपरोक्त प्रकरण में दिनाक 16.07.2019 की सिटिंग में ज़िला अधिकारी, महाराजगंज, ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला- महाराजगंज तथा अभ्यावेदक उपस्थित हुये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभ्यावेदक से ज़िला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछा । अभ्यावेदक ने बताया कि ज़िला प्रशासन द्वारा अभी भी धुरिया, गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे है । इसके जवाब में ज़िला अधिकारी, महाराजगंज ने आयोग को बताया कि प्रकरण में सभी लेखपालों के साथ बैठक की गई है और सभी को धुरिया, गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश दिये जा चुके है । अभ्यावेदक ने नौतनवा तहसील प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने का मामला उठाया । ज़िला अधिकारी महोदय ने आयोग को सुझाव दिया कि वह इस प्रकरण पर एक समिति गठित करेंगे, जिसमे एक उपज़िला अधिकारी, तहसीलदार- नौतनवा और एक धुरिया जनजाति का प्रतिष्ठित व्यक्ति को शामिल किया जायेगा । इस प्रकरण पर मास सितंबर या अक्तूबर पर रिपोर्ट भेजी जा सकेगी, क्योकि प्रशासन बाढ़ से निपटने की व्यवस्था में जुटा हुआ है ।

4. प्रकरण में विस्तृत चर्चा के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न सिफ़ारिशे करते हुए एक मास के अंदर आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा ।

(1) ज़िला अधिकारी द्वारा सुझाये गए प्रस्ताव के अनुसार, ज़िला प्रशासन द्वारा समिति का शीघ्र गठन किया जाये । जिससे धुरिया जनजाति के भोले भाले लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिल सके और उन्हे संवैधानिक अधिकारो से वंचित ना होने पड़े ।

(2) ज़िले के सभी लेखपालों एवं तहसीलदारों तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के प्रकरणो को प्राथमिकता देने को कहा जाये ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

List of participants in the sitting held on 16/07/2019 at 02:30 PM under the Chairmanship of Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice- Chairperson, NCST regarding non issuance of ST certificate to the persons belonging to "Dhuria, Gond " communities in the District of Maharajganj by the District Administration.

(Case No RG/28/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

I **National Commission for Scheduled Tribes**

1. Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson — In Chair

2. Shri Gaurav Kumar, P. S. to Hon'ble Vice-Chairperson

3. Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Director

4. Shri R.S. Misra, Senior Investigator

II **District Collector, Maharajganj**

Shri Amar Nath Upadhyay

III **District Social Welfare Officer, Mirzapur**

Shri Vinod Kumar Singh

IV **Petitioner**

Shri Raj Mangal Gond